

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
DIRECTORATE GENERAL FACTORY ADVICE SERVICE
AND LABOUR INSTITUTES

REGIONAL LABOUR INSTITUTE, FARIDABAD

(An ISO 9001:2015 certified Institution) (INDUSTRIAL HYGIENE DIVISION)

Training Program On
"Assessment and Management Of
Chemical Contaminants In
Industries"
(17th- 19th September, 2025)

DGFASLI & RLI FARIDABAD

The Directorate General Factory Advice Service and Labour Institutes (DGFASLI) is an attached office of the Ministry of Labour and Employment, Government of India and serve as a technical arm to assist the Ministry in formulating National Policies on Occupational Safety and Health and to advise the State Governments and Factories on matters concerning Safety, Health, Efficiency and well-being of persons at work. It also enforces safety and health statutes in major Ports of the country.

The Regional Labour Institute, Faridabad, one of the Sub- ordinate Offices of DGFASLI, has been rendering technical assistance and services in the field of Occupational Health, Safety and Environment in the Northern Region.

ABOUT THE PROGRAM

Industrial workers are routinely exposed to a wide range of health hazards in the workplace, particularly chemical contaminants such as toxic gases, fumes, vapors, dusts, and fibers. With rapid industrialization, the risk of occupational illnesses due to these exposures is expected to rise significantly in the near future.

To address these challenges, it is essential to implement best practices in Occupational Safety and Health (OSH), which requires a thorough understanding of Industrial Hygiene, Health, and Safety protocols within industrial environments.

The Second Schedule of the Factories Act, 1948 mandates compliance with Permissible Limits of Exposure (PLE) for specific chemicals in the industrial work environment. This legal requirement places a responsibility on management to Evaluate, Assess, and Control workplace contaminants to ensure they remain within acceptable limits. Raising awareness about chemical hazard & there risks is essential in reducing their impact through understanding of exposure assessment, mitigation measures and regulatory provisions to foster a culture of safety within the workplace.

OBJECTIVE

To educate and sensitize participants about the health and safety risks posed by chemical agents. Program aims to equip professionals with practical tools and methodologies for the assessment, mitigation, and management of chemical hazards, while ensuring compliance with applicable regulatory standards.

PROGRAM HIGHLIGHT

- National Policy on OSHE at workplace.
- Overview on Industrial Hygiene
- Hazards in Chemical Industries.
- Statutory Provisions-The Factories Act-1948, The OSH&WC Code-2020.
- Chemical Hazard Identification and Risk Assessment
- Concept of PLEs & and TLVs.
- Chemical Hazard evaluation: Work Environment Monitoring.
- Controlling & managing the Hazard (Chemical contaminant)
- Occupational Health Management

PARTICIPATION

This program is specifically designed for professionals engaged in industrial operations and OSH, including Safety Officers, Environmental Engineers, Industrial Hygienists, Factory Medical

Officers, Plant Managers, Chemists/Analysts, and Chemical Process Supervisors from Major Accident Hazard (MAH) Industries.

DATE, TIMINGS, MODE

17th- 19th September, 2025 (Three days) 1000 to 1700 hrs. OFFLINE MODE

VENUE

Conference Room, Regional Labour Institute, Sector 47, Faridabad – 12101, Haryana

NOMINATION

Nomination may be sent by email to the Course Coordinator, on or before 11th September, 2025.

ADMINISTRATIVE DETAILS

Institution fee @ Rs 5000/- (Excluding Boarding and Lodging) per participant through Bharatkosh portal (https://bharatkosh.gov.in) may be deposited online by using the following steps only after nomination confirmed from the Course Coordinator.

Follow the steps below to pay fees after confirmation only.

- Visit to https://bharatkosh.gov.in
- Select: Quick Payment
- **Ministry: 021 Labour & Employment**
- Purpose: Training and services fees
- Pay & Account Office (PAO): 030050 -PAO, CLC, New Delhi
- DDO: 202195 Regional Labour Institute, Faridabad
- Remarks: **AMCCI-** RLIF

ACCOMMODATION

Limited non-family hostel accommodation subject to availability on a first-come-first-served basis.

TRAINING COORDINATOR

Dr. Nitin S. Gedam, Deputy Director (IH)
Regional Labour Institute
Sector-47, Faridabad-121 010
Mo. No. 8178726356 (O) 129-2985536
Email: nitin.gedam@dgfasli.nic.in &
rlifaridabad@dgfasli.nic.in

NOMINATION-CUM-REGISTRATION FORM

Training Program On "Assessment and Management Of Chemical Contaminants In Industries" (17th- 19th September, 2025)

ΑŢ

REGIONAL LABOUR INSTITUTE, SECTOR - 47, FARIDABAD - 121010

PARTICIPANT'S DETAILS	
Name (Block Letters)	:
Designation	:
Address for Communication	:
Age	:
Qualification	:
Total Experience	:
Mobile No.	:
DETAILS OF SPONSORING ORGANI	ZATION
Name & Address	:
Telephone No. / Mobile No.	:
E-mail	:
Fax No.	:
Accommodation	: Required / Not Required
PAYMENT DETAILS (Bharatkosh Rece	eipt No. and date):
BELONGS TO:-	
(GEN / SC/ ST / OBC / PH / NER*) *=North Eastern Region	
Place:	
Date:	
	SIGNATURE OF PARTICIPANT



भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

महानिदेशालय फैक्ट्री सलाह सेवा और श्रम संस्थान क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद

(एक आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित संस्था) (इंडस्ट्रियल हाइजीन डिविजन)

"औद्योगिक क्षेत्रों में रासायनिक प्रदूषकों का मूल्यांकन और प्रबंधन" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (17 से 19 सितंबर, 2025)

डीजीएफएएसएलआई और आरएलआई फरीदाबाद

डीजीएफएएसएलआ, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक संलग्न कार्यालय है और यह मंत्रालय को व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय नीतियां तैयार करने में मदद करने के लिए एक तकनीकी शाखा के रूप में काम करता है और सुरक्षा, स्वास्थ्य, दक्षता तथा कार्यस्थल पर लोगों की भलाई से संबंधित मामलों में राज्य सरकारों और कारखानों को सलाह देता है। यह देश के प्रमुख बंदरगाहों में सुरक्षा और स्वास्थ्य के नियमों को भी लागू करता है। क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद, डीजीएफएएसएलआई के अधीनस्थ कार्यालयों में से एक है, जो उत्तरी क्षेत्र में व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में तकनीकी सहायता और सेवाएं प्रदान कर रहा है।

कार्यक्रम के बारे में

औद्योगिक श्रमिकों को कामकाजी स्थान पर स्वास्थ्य खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला का नियमित रूप से सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से विषाक्त गैसों, धुएं, वाष्प, धूल और फाइबर जैसे रासायनिक प्रदूषकों के संपर्क में आने से। तेज़ औद्योगीकरण के साथ, इन संपर्कों के कारण व्यावसायिक बीमारियों का जोखिम निकट भविष्य में काफी बढ़ने की उम्मीद है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, औद्योगिक वातावरण में औद्योगिक स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल का गहन ज्ञान आवश्यक

है ताकि व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (OSH) में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को लागू किया जा सके। फैक्ट्री अधिनियम, 1948 की दूसरी अनुसूची विशेष रासायनिक पदार्थों के लिए औद्योगिक कार्य वातावरण में अनुमित प्राप्त संपर्क सीमाओं (PLE) का पालन करने की अनिवार्यता को निर्धारित करती है। यह कानूनी आवश्यकता प्रबंधन पर उन कामकाजी प्रदूषकों का मूल्यांकन, आकलन और नियंत्रण करने की जिम्मेदारी डालती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे स्वीकार्य सीमाओं के भीतर बने रहें। रासायनिक खतरों और उनके जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना उनके प्रभाव को कम करने में आवश्यक एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए जोखिम मूल्यांकन, कमी के उपायों और नियामक प्रावधानों की समझ जो कार्यस्थल के भीतर सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा दे।है।

<u>उददेश्य</u>

रसायनिक एजेंटों द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिमों के बारे में प्रतिभागियों को शिक्षित और संवेदनशील बनाना। कार्यक्रम का उद्देश्य पेशेवरों को रासायनिक खतरों के आकलन, कमी और प्रबंधन के लिए व्यावहारिक और विधियों से सुसज्जित करना है, साथ ही इसके लागू नियामकीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना है।

कार्यक्रम प्रमुखता

- कार्यस्थल पर OSHE के लिए राष्ट्रीय नीति।□
- औद्योगिक स्वच्छता पर अवलोकन।□
- रासायनिक उद्योगों में खतरें
- कानूनी प्रावधान कारखाना अधिनियम-1948, OSH&WC संहिता-2020।□
- रासायनिक खतरे की पहचान और जोखिम मूल्यांकन।
- PLEs और TLVs का सिद्धांत।□
- रासायनिक खतरे का मूल्यांकन: कार्य वातावरण की निगरानी।
- खतरे (रासायनिक संदूषक) को नियंत्रित और प्रबंधित करना।
- व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन

<u>भागीदारी</u>

यह कार्यक्रम विशेष रूप से औद्योगिक संचालन और ओएसएच में लगे पेशेवरों के लिए तैयार किया गया है, जिसमें सुरक्षा अधिकारी, पर्यावरण इंजीनियर, औद्योगिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी, संयंत्र प्रबंधक, रसायनज्ञ/विश्लेषक, और प्रमुख दुर्घटना जोखिम (MAH) उद्योगों से संबंधित रासायनिक प्रक्रिया पर्यवेक्षक शामिल हैं।

तारीख, समय, तरीका

17 से 19 सितंबर, 2025 (तीन दिन)

1000 से 1700 घंटे। ऑफ़लाइन मोड

<u>स्थान</u>

क्षेत्रीय श्रम संस्थान, सेक्टर 47, फरीदाबाद – 12101, हरियाणा नामांकन

निर्वाचन 19 सितंबर, 2025 या उससे पहले कोर्स समन्वयक को ईमेल दवारा भेजा जा सकता है।

प्रशासनिक विवरण

प्रतिभागी के लिए संस्थान शुल्क @ 5000/- रुपये (भोजन और निवास को छोड़कर) केवल बारातकोष पोर्टल (https://bharatkosh.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा सकता है, निम्नलिखित चरणों का उपयोग करके, केवल कोर्स समन्वयक द्वारा नामांकन की पृष्टि होने के बाद।

Follow the steps below to pay fees after confirmation only.

- Visit to https://bharatkosh.gov.in
- Select: Quick Payment
- Ministry: 021 Labour & Employment
- **Purpose: Training and services fees**
- Pay & Account Office (PAO): 030050 -PAO, CLC, New Delhi
- **♣** DDO: 202195 Regional Labour Institute, Faridabad
- Remarks: **AMCCI-** RLIF

आवास व्यवस्था

सीमित गैर-परिवार हॉस्टल आवास उपलब्धता के आधार पर पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर है।

प्रशिक्षण समन्वयक

डॉ. नितिन एस. गेडाम, उप निदेशक (आईएच)

क्षेत्रीय श्रम संस्थान सेक्टर-47, फ़रीदाबाद-121 010

मो. नं. 8178726356 (ओ) 129-2985536

Email: nitin.gedam@dgfasli.nic.in & rlifaridabad@dgfasli.nic.in

उम्मीदवारी-सह-पंजीकरण प्रपत्र

"औद्योगिक क्षेत्रों में रासायनिक प्रदूषकों का मूल्यांकन और प्रबंधन" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (17 से 19 सितंबर, 2025)

स्थान: क्षेत्रीय श्रमिक संस्थान, सेक्टर - 47, फरीदाबाद - 121010

प्रतिभागी के विवरणनाम	
नाम (ब्लॉक अक्षरों में)	:
पद	:
संचार का पता	:
उ म	:
योग्यता	:
कुल अनुभव	:
मोबाइल नंबर	:
प्रायोजन संगठन के विवरणनाम औ	र पता
	:
टेलीफोन संख्या / मोबाइल संख्या	:
ई-मेल	:
फैक्स नंबर	:
आवास	: आवश्यक / आवश्यक
भुगतान विवरण (Bharatkosh Receipt No.	and date):
BELONGS TO:-:	
(GEN / SC/ ST / OBC / PH / NER*) *=North Eastern Region	
Place:	
Date:	
	SIGNATURE OF PARTICIPANT